

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें (68वें) वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-**
 - (1) यह अधिनियम झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2018 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (3) यह झारखण्ड राज्य गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माना जायेगा।
2. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा-7 (3) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाता है।

“पथ कर के लिए किसी बस में एक स्लीपर की गणना दो बैठान सीट के रूप में की जायेगी”

यह विधेयक झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 19 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 19 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।